न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), शाहजहॉपुर।

परिवाद सं0–29/19

मीरा बनाम रामसनेही आदि

24–08–2019:

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिनी की ओर से अभियुक्तगण/विपक्षीगण **रामसनेही, वेदराम, रतिराम व पुष्पेन्द्र** के विरूद्ध दिये गये प्रार्थना–पत्र को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23–01–2019 द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रार्थिनी के पति सालिगराम का जमीन का मुकदमा रामसनेही, वेदराम, रतिराम व पुष्पेन्द्र से नायब तहसीलदार तहसील, पुवायां में चल रहा है, जिस कारण उक्त लोग उसके परिवार से रंजिश मानते हैं तथा बराबर राजीनामा करने का दबाव बनाते रहते हैं तथा धमकियां देते रहते हैं। दिनांक 08–01–2019 को सुबह 8 बजे जब उसका पति सालिगराम गन्ना छीलने जा रहा था, तभी उक्त मुलजिमान ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके पति को घर के बाहर ही घेर लिया। उसका पति डर के मारे भाग कर घर में घुस गया, पीछे–पीछे उक्त लोग भी घर में घुस आये। सभी के हाथ में डंडे थे। सभी ने उसे व उसके पति को लातघूसों से मारापीटा तथा कहा कि चमट्टों के दिमाग खराब हो गये हैं तथा उसको जाति सूचक शब्दों के साथ लज्जा भंग करने की अनेकों गालियां दीं। उस समय घर पर रोशन लाल पुत्र मंगरे व फतेहचन्द्र पुत्र बल्देव प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने सारा वाक्या देखा व समझा बुझाकर मुलजिमान को शान्त किया और तमाम लोग घटना देखकर इकट्ठा हो गये। सबके सामने मुलजिमान ने धमकी दी कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। वह अपने पति के साथ थाने गयी, पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उसने प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, शाहजहॉपुर को दिया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके आधार पर यह परिवाद पंजीकृत किया गया है।

परिवादिनी की ओर से धारा–200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 फतेहचन्द्र व पी0डब्लू0–2 रोशन को परीक्षित कराया गया।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0 प्र0 सं0 में यह साक्ष्य दिया है कि उसके पति आज से 1 महीना पहले सुबह गन्ना छीलने जा रहे थे, तभी उसके पति को रामसनेही, वेदराम, रतीराम, पुष्पेन्द्र ने घेर लिया। उसके पति भागकर घर में आ गये। उपरोक्त सभी मुलजिमान उसके घर पर आये। उपरोक्त लोगों ने उसे, उसके पति को मारापीटा चमरिया कहकर तंग किया। उसके गुम चोटें आयी थीं। चोटें कमर में आयी थीं। पति के भी चोटें आयी थीं।

इसके अतिरिक्त परिवादिनी की ओर से धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित किये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–01 व पी0डब्लू0–02 ने भी अपने सशपथ साक्ष्य से परिवादिनी द्वारा धारा–200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिये गये साक्ष्य का समर्थन किया है।

पी0डब्लू0 1 फतेहचन्द्र ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 08–01–2019 को सुबह 8 बजे वह मीरा के घर पर बैठा था, तभी सालिकराम डर कर भागता हुआ घर में आया। उसके पीछे रामसनेही, वेदराम, रतीराम व पुष्पेन्द्र हाथ में लाठी डंडे लेकर जाति सूचक चमार सालों के दिमाग खराब हो गये हैं, आज इन सालों को सही कर देंगे, कहते व गंदी गालियां देते हुए घर में घुसे व लातघूसों से बुरी तरह मारापीटा। उसके अलावा रोशन लाल भी घर में

बैठे थे। उन लोगों ने मुलजिमान को समझाया बुझाया और घर वापस भेज दिया। मुलजिमान कोई कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। साक्षी पी0डब्लू0–02 ने भी पी0डब्लू0–01 के बयानों का समर्थन किया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान में मुलजिमान द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी व उसके पति को जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है।

अतः परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 व उसकी ओर से धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस का मत है कि विपक्षीगण **रामसनेही, वेदराम, रतिराम व पुष्पेन्द्र** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा–452,323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण **रामसनेही, वेदराम, रतिराम व पुष्पेन्द्र** उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण/अभियुक्तगण **रामसनेही, वेदराम, रतिराम व पुष्पेन्द्र** को धारा–452,323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादिनी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांकः –08–2019 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
शाहजहॉपुर।